पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 16, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–49

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	593–620	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	543–548	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 1022/XIII(2)/2013-19(01)/2011–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (च) एवं धारा 17 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित महानुभावों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) में उनके नाम के सम्मुख पद पर नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	नामित व्यक्ति का नाम/पता	पद
1	2	3
1	श्री सतीश मुंजाल पुत्र श्री करम चंद, निवासी गोपालनगर, गदरपुर	सदस्य/अध्यक्ष
2	श्री अजय खेड़ा पुत्र श्री धर्म चंद, निवासी अनाज मण्डी, गदरपुर	सदस्य
3	श्री प्रीत चिलाना पुत्र श्री मुलख राज, वार्ड नं.–07, गदरपुर	सदस्य
4	श्री मंगत गण्डा पुत्र श्री खान चंद गण्डा, निवासी विशनपुर, गदरपुर	सदस्य
5	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम भ्रगू नाथ, निवासी फतेहगंज, गदरपुर	सदस्य
6	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री अनिवाश लाल, पंजाबी कॉलोनी, वार्ड नं.–06, गदरपुर	सदस्य

2. उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उपरोक्त सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 17(2) के खण्ड (क) व (ख) के अधीन संलग्न प्ररूप पर संबंधित समिति के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

आज्ञा से,

डॉ0 रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना

विविध

01 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 3277 / XVII-1/2013-2अ(05)/2011–''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2013

भाग–एक : 'सामान्य'

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली, का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा एक राज्य और अधीनस्थ राजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह–'क' एवं 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से 'राज्यपाल' अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के 'भाग–दो' के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाए;

(ग) 'आयोग' से "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार" अभिप्रेत है;

(घ) 'निदेशक' से "निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड" अभिप्रेत है;

(ड़) 'संविधान' से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च़) 'सरकार' से "उत्तराखण्ड की राज्य सरकार" अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से "उत्तराखण्ड के राज्यपाल" अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से "उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा" अभिप्रेत है;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और

नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की जुलाई माह के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ठ) "विभाग" से "समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड" अभिप्रेत है।

भाग–दो : 'संवर्ग'

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिए जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी 'परिशिष्ट' में दी गई है:

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन : 'भर्ती'

भर्ती का स्रोत

5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी–

क्रमांक	पदनाम	भर्ती का स्रोत
1	अपर निदेशक (पी.सी.एस. संवर्ग)	पी.सी.एस. संवर्ग।
2	अपर निदेशक (विभागीय संवर्ग)	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 17 के अनुसार चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
3	संयुक्त निदेशक	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर

		पदोन्नति द्वारा।
4	उप निदेशक	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त अपर जिला विकास अधिकारी संवर्ग एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग (सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति जनजाति आयोग/सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग) में से उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम–17 के अनुसार चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा – (1) अपर जिला विकास अधिकारी संवर्ग : 33 प्रतिशत, (2) जिला समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग : 67 प्रतिशत।
5	सहायक निदेशक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी/ सचिव–उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग/ सचिव–उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	50 प्रतिशत नियम 15 के अनुसार आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संवर्गों में से उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा– **(एक)**अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी : 40 प्रतिशत; **(दो)** अधीक्षक, विकलांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला / अधीक्षक, वृद्ध एवं अशक्त

		गृह/अधीक्षक, भिक्षुक गृहः 10 प्रतिशत.
6	प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	विभाग में मौलिक रुप से नियुक्त कार्यदेशक (फोरमैन) में से, जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
7	प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (हाईस्कूल स्तर)	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
8	अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (प्राथमिक शिक्षा)	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के एल.टी. संवर्ग के अध्यापकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
9	अधीक्षक– (1) विकलांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला, (2) वृद्ध एवं अशक्त गृह, (3) भिक्षुक गृह.	50 प्रतिशत नियम 15 के अनुसार आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संवर्गों में से उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत के अनुसार, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा– **(एक)** छात्रावास अधीक्षक : 40 प्रतिशत, **(दो)** पर्यवेक्षक–भिक्षुक गृह : 10 प्रतिशत।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग–चार : 'अर्हताएं'

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (क) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी की जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षणिक अर्हताएं

8. सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं हों–

क्रमांक	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी/ सचिव– उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग /सचिव–उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग/	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, अथवा **(दो)** विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि

		सचिव–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, अथवा **(तीन)** भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
	2	अधीक्षक– (1) विकलांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला, (2) वृद्ध एवं अशक्त गृह, (3) भिक्षुक गृह.	**(एक)** भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, अथवा **(दो)** विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, अथवा **(तीन)** भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि।

अधिमानी अर्हताएं

9. नियम–5 में क्रमांक–9 पर उल्लिखित पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अधिमानी अर्हताएं होंगी–

(एक) अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नात्तकोत्तर की उपाधि।

(दो) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

(तीन) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान से कटाई, सिलाई और बुनाई में डिप्लोमा का प्रमाण–पत्र।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 **जनवरी से** 30

जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के; जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान कर लेगा:

टिप्पणी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध–दोष व्यक्ति भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाए:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए उक्त चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक न होगा।

भाग–पांच : 'भर्ती प्रक्रिया'

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की

15. (1) नियम 5 में क्रमांक–5 एवं 9 पर विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती, आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित राज्य

प्रक्रिया

सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदनपत्र, आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में, आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदनपत्र निर्धारित धनराशि का भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेशपत्र न हो।

(4) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और उसे सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किए हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।

(5) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी।

टिप्पणी : प्रतियोगिता परीक्षा का पाठयक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएंगे।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003" के अनुसार की जाएगी:

परन्तु यह कि जहां भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हों, जिनके–

(एक) वेतनमान भिन्न हैं, वहां उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के क्रम में अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा;

(दो) वेतनमान समान हैं, वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में पात्रता सूची में रखे जाएंगे।

लोक सेवा आयोग की

17. (1) नियम 5 के क्रमांक–2 पर उल्लिखित पद पर

परिधि से बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा भर्ती **श्रेष्ठता के आधार** पर निम्नवत् चयन समिति द्वारा कार्मिक विभाग के माध्यम से की जाएगी:

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य.

(2) नियम 5 के क्रमांक–3 और 4 पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए **ज्येष्ठता के आधार** पर चयन समिति के माध्यम से की जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों;

(ग)निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

ज्येष्ठ प्रमुख सचिव/सचिव, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची या सूचियां "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003" के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र–पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

परन्तु जहां भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हों, जिनके:

(एक) वेतनमान भिन्न हैं, वहां उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के क्रम में अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा;

(दो) वेतनमान समान हैं, वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में पात्रता सूची में रखे जाएंगे।

(4) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की एक सूची, उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों

प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिए जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः – "नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता"

नियुक्ति

19 (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 अथवा 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में अंकित हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जाएंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाए।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा। जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथाअवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए, ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाएं तो चयनित व्यक्तियों के नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम में रखे जाएंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी तिथि विनिर्दिष्ट की जाएगी जब तक अवधि बढ़ाई जाए:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या उसका कार्य एवं आचरण असंतोषजनक है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाएं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी

अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा, यदिः

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

22. किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

भाग–सात : "वेतन इत्यादि"

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 'परिशिष्ट' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि, पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना तब तक वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना तब तक वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों

द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ : "अन्य उपबन्ध"

पक्ष समर्थन

25. सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. उन विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले के न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

"उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली–2013"

'परिशिष्ट'

(नियम–4 और 23 देखिए)

उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के पदनाम, पदों की संख्या और वेतनमान

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	अपर निदेशक (पी.सी.एस. संवर्ग)	–	01	01	पी.सी.एस. संवर्ग के अनुसार।
2	अपर निदेशक (विभागीय)	–	01	01	वेतन बैंड–4, वेतनमान ₹37,400-67,000 + ग्रेड–वेतन ₹8,700.
3	संयुक्त निदेशक	–	02	02	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹7,600.
4	उप निदेशक	02	01	03	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹6,600.
5	अपर जिला विकास अधिकारी–समाज कल्याण (वर्तमान में इस पद पर कार्यरत 03 अधिकारियों की पदोन्नति के उपरान्त यह संवर्ग मृत संवर्ग माना जाएगा)	03	–	03	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
6	सहायक निदेशक	01	01	02	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	10	03	13	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
8	सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	–	01	01	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
9	सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग	–	01	01	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
10	सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	–	01	01	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
11	प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	01	02	03	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
12	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (हाईस्कूल स्तर)	–	01	01	वेतन बैंड–3, वेतनमान ₹15,600-39,100 + ग्रेड–वेतन ₹5,400.
13	अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय)	05	–	05	वेतन बैंड–2, वेतनमान ₹9,300-34,800 + ग्रेड–वेतन ₹4,200.
14	अधीक्षक, विकलांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला	03	–	03	वेतन बैंड–2, वेतनमान ₹9,300-34,800 + ग्रेड–वेतन ₹4,200.
15	अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह	01	01	02	वेतन बैंड–2, वेतनमान ₹9,300-34,800 + ग्रेड–वेतन ₹4,200.
16	अधीक्षक, भिक्षुक गृह	01	–	01	वेतन बैंड–2, वेतनमान ₹9,300-34,800 + ग्रेड–वेतन ₹4,200.

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 3277/XVII-1/2013-23अ(05)/2011,** Dehradun dated November 01, 2013 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 01, 2013

No. 3277/XVII-1/2013-23अ(05)/2011--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of services of persons appointed to the Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Service:--

The Uttrakhand Social Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2013

Part-I General

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttrakhand Social Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Service is a State and Subordinate Gazetted service comprising group "A" and "B" posts.

Definitions

3. In these rules, unless their is anything repugnant in the subject or context:-

(a) 'Appointing Authority' means the Governor;

(b) 'Citizen of India' means a person, who is or is deemed to be a citizen of India under part II of **"the Constitution of India"**;

(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) Director" means the Director, Social Welfare, Uttarakhand;

(e) 'Constitution' means **"the Constitution of India"**;

(f) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;

(h) 'Member of Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or order enforce prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(i) **'Service'** means the Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Service;

(j) **'Substantive appointment'** means the appointment not being *an adhoc* on a post in the cadre of the service made after selections in accordance with the rule. If their were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by the executive instructions issued by the Government;

(k) **'Year of recruitment'** means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year;

(l) **'Department'** means Social Welfare Department, Uttarakhand.

Part II –Cadre

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and the posts of each category their in shall be such, as maybe determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service and the posts of each category their in shall, until order varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix;

Provided that:

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance, any vacant post without their by entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part- III-Recruitment

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various posts in the Service shall be made by following sources-

Sr. no.	Name of Post	Source of recruitment
1.	Additional Director (PCS Cadre)	PCS Cadre
2.	Additional Director (Departmental Cadre)	By promotion through selection committee as per rule 17, from amongst substantively appointed Joint Directors in the Department, who have completed minimum 03 Years Service as such on the first day of the year of recruitment.
3.	Joint Director	By promotion on the basis of seniority subject to the rejection

		of unfit from amongst such substantively appointed Deputy Directors in the Department, who have completed minimum 03 Years Service as such on the first day of the year of recruitment.
4.	Deputy Director	By promotion through selection committee as per rule 17, from amongst such substantively appointed Additional District Development Officer-Social Welfare cadre and District Social Welfare Officer cadre (Assistant Director/ District Social Welfare Officer/ Secretary, Uttarakhand scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission/ Secretary, Uttarakhand Other Backward Classes Commission/ Secretary,Uttarakhand Minority Commission) in theDepartment, who have completed minimum 05 Years Service as such on the first day of the year of recruitment. (1) Additional District Development Officers-Social Welfare cadre- 33%. (2) District Social Welfare Officers Cadre- 67%
5.	Assistant Director/ District Social Welfare Officer/ Secretary, Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission/ Secretary, Uttarakhand Other Backward Classes Commission/ Secretary, Uttarakhand Minority Commission.	50% Direct recruitment through Commission as per rule 15 and 50% by promotion through Commission as per rule 16 such substantively appointed in the Department in following cadres according percentage mentioned in their front, who have completed minimum 05 years service as such on the first day of the year of recruitment - (i) Additional District Social

		Welfare Officers- 40% (ii) Superintendent, Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped/ Superintendent, Aged and Disabled Home/ Superintendent, Beggar Home- 10%
6	Principal, Government Industrial Training Instructions.	By promotion through Commission as per rule 16 amongst substantively appointed Workman (foreman) in the Department, who have completed minimum 05 years service as such on the first day of the year of recruitment.
7.	Principal/ Head Master, Government Ashram Type School. (High School level)	By promotion through Commission as per rule 16 amongst substantively appointed Superintendent, Government Ashram Type School in the Department, who have completed minimum 05 years service as such on the first day of the year of recruitment.
8.	Superintendent, Government Ashram Type School. (Primary Education)	By promotion through Commission as per rule 16 amongst substantively appointed L.T. Grade Teachers, Government Ashram Type School in the Department, who have completed minimum 07 years service as such on the first day of the year of recruitment.
9.	Superintendent- (1) Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped, (2) Aged and Disabled Home, (3) Beggar Home.	50% Direct recruitment through Commission as per rule 15 and 50% by promotion through Commission as per rule 16 such substantively appointed in Department in following cadres according percentage mentioned in their front who have completed minimum 07 years service as such on the

first day of the year of recruitment -

(i) Hostle Warden- 40%

(ii) Observer, Beggar Home- 10%

Reservation 6. Reservation for the candidate belonging to Schedule Castes/ Schedule Tribes, Other Backward Classes and Other categories to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part -IV - Qualifications

Nationality 7. A candidate for recruitment to a post in service must be :-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan Refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intentions of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificates being obtained by or issued in his favour.

Academic Qualifications 8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have following qualifications:

Sr. No	Name of Post	Educational Qualification
1.	Assistant Director/ District Social	Degree of Graduation- (i) from any University established by

		Welfare Officer/ Secretary, Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission/ Secretary, Uttarakhand Other Backward Classes Commission/ Secretary, Uttarakhand Minority Commission.	law in India, or (ii) such any institution differ from University who is recognized or declared as an University by law, or (iii) from any foreign University recognized by Government of India.
	2.	Superintendent- (1)Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped. (2) Aged and Disabled Home. (3) Beggar Home.	Degree of Graduation- (i) from any University established by law in India, or (ii) such any institution differ from University who is recognized or declared as an University by law, or (iii) Graduation Degree in Social Science or Psychology from any foreign University recognized by Government of India.

Preferential Qualifications

9. The following preferential Qualification shall be for direct recruitment on the post mentioned in serial number 9 of rule 5 :

(i) degree of post graduation in the subject of Applied Social Science or Social work.

(ii) at least two years experience of running the any Governmental or Semi Governmental Social Welfare Institutions as administrative or Supervisory Status.

(iii) A certificate of diploma in cutting, sewing and weaving from any industrial institution recognized by the Government.

Age

10. A candidate for direct recruitment to any post in the service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other

categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character **11.** The character of a candidate for recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government services. The appointing authority shall satisfy himself/ herself in this respect.

Note that persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a local authority or by a corporation or body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **12.** A male candidate who has more than one wife living or female who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Physical Fitness **13.** No candidate shall be appointed to a post in the service, unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board.

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a Candidate recruited by promotion.

PART-V

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies **14.** The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes and other categories under rule 6;

Procedure of direct recruitment though Public Service Commission **15.** (1) The direct recruitment on the posts mentioned in serial number 5 and 9 of rule 5 shall be made through Commission conducted by Combined State Civil / Upper subordinate service examination.

(2) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

(3) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(4) The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the

requisite qualification, as they consider proper.

(5) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note- Syllabus and rule of the competitive examination shall be prescribed by the Commission from time to time.

Procedure of recruitment by promotion though Public Service Commission

16. Recruitment by promotion on the basic of Seniority subject to the rejection of unfit shall be made according the Uttarakhand Promotion by selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time,

Provided that where the feeding cadre is different than –

(i) Pay Scale is differ, the Candidate in serial of cadre of higher pay scale shall be placed in higher place in the eligibility list.

(ii) pay Scale is equal, the name of the Candidate in his on cadre shall be placed in serial of the date of his substantive appointment.

Procedure of recruitment by promotion on the Post of Out of purview of the Public Service Commission

17. (1) On the post mentioned in serial No. 2 of Rule 5 the promotion shall be made on basis of merit through a following selection Committee by Personal Department-

(a) Chief Secretary, Government of Uttarakhand - Chairman

(b) Principal Secretary/ Secretary Personal Department Government of Uttarakhand - Member

(c) Principal Secretary/ Secretary Social Welfare Department Government of Uttarakhand - Member

(2) On the post mentioned in serial No. 3 and 4 of Rule 5 the promotion shall be made on basis of seniority subject to the rejection of unfit through following selection Committee –

(a) Principal Secretary/ Secretary Social Welfare Department Government of Uttarakhand - Chairman

(b) Principal Secretary / Secretary or a Officers who is not less than a rank of Joint Secretary nominated by him Personal Department Government of Uttarakhand - Member

(c) Director, Social Welfare Department Uttarakhand - Member

Senior Principal Secretary / Secretary shall be Chairman of the Selection Committee.

(3) The appointing authority shall prepare an eligibility list or lists according the Uttarakhand (out of preview of the post from Public service Commission) Promotion eligibility list Rules, 2003 and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper,

Provided that where the feeding cadre is different than –

(i) Pay Scale is differ, the Candidate in serial of cadre of higher pay scale shall be placed in higher place in the eligibility list.

(ii) pay Scale is equal, the name of the Candidate in his on cadre shall be placed in serial of the date of his substantive appointment.

(4) The Selection Committee shall considers the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and if it considered necessary, it may interview the candidate also.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidate arranged in order of seniority as was that cadre and to be promoted to them and forward the same to the appointing authority.

Combined select list

18. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

19. (1) The appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in list prepared under rule 15,16,17,18.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 20.

Probation

20. (1) A person on appointment to a post on service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and at no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority any time during or at the end

of the period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give satisfactions he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre for any other equivalent for higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of the probation or the extended period of probation; if—

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, or

(b) his integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

22. The seniority of the persons substantively appointed in any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002.

Part – VII

Pay etc

Scales of pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or as a temporary measures, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be as per Appendix.

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in Permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has successfully completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of the failure to give satisfactions such extensions shall not count for increment unless the appointment authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Provided that if the period of probation is extended on account of the failure to give satisfactions such extensions shall not count for increment unless the appointment authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who was already in permanent Government service, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under these rules, shall be taken into consideration and any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the maters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Saving

29. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

The Uttrakhand Social Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2013

Appendix

(Rule see, 4 and 23)

The Uttrakhand Social Welfare Gazetted Officers name of Post, number of posts and Pay scales-

Sr.no.	Name of Post	Number of Posts			Pay Scales
		Permanent	Temporary	Total	
1	Additional Director (PCS Cadre)	-	01	01	PCS Cadre
2	Additional Director (Departmental Cadre)	-	01	01	Pay Band-4, Pay scale ₹ 37,400-67,000+ Grade -Pay ₹8700.
3	Joint Director	-	02	02	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹7600.
4	Deputy Director	02	01	03	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹6600.
5	Additional District Development Officer-Social Welfare ()	03	-	03	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
6	Assistant Director	01	01	02	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
7	District Social Development Officer	10	03	13	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
8	Secretary, the Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes casts Commission/	-	01	01	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
9	Secretary the Uttarakhand Other Backward Classes Commission	-	01	01	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
10	Secretary the Uttarakhand Minority Commission.	-	01	01	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
11	Principal, Government	01	02	03	Pay Band-3, Pay scale

	Industrial Training Instructions.				₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
12	Principal / Head Master, Government Hermitage Method School. (High School lable)	-	01	01	Pay Band-3, Pay scale ₹ 15,600-39,100+ Grade -Pay ₹5400.
13	Superintendent, Government Hermitage Method School. (Primary Education)	05	-	05	Pay Band-2, Pay scale ₹ 9300-34,800+ Grade-Pay ₹4200.
14	Superintendent Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped.	03	-	03	Pay Band-2, Pay scale ₹ 9300-34,800+ Grade-Pay ₹4200.
15	Superintendent Aged and Disabled Home.	01	01	02	Pay Band-2, Pay scale ₹ 9300-34,800+ Grade-Pay ₹4200.
16	Superintendent Beggar Home.	01	-	01	Pay Band-2, Pay scale ₹ 9300-34,800+ Grade-Pay ₹4200.

By Order,

S. RAJU,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/688–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 16, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 03, 2013

No. 206/UHC/Admin.A/2013--In exercise of powers conferred by Article 227 (2) of the Constitution of India, the High Court of Uttarakhand, Nainital with the approval of the Governor of Uttarakhand, is pleased to make the following amendments in General Rules (Criminal), 1977 (applicable to Uttarakhand under U.P. Reorganization Act, 2000).

AMENDMENTS IN GENERAL RULES (CRIMINAL), 1977

The following rules be substituted in place of existing Rule 21 of General Rules (Criminal).

"**21 (1)** – Every regular criminal case shall be allotted a serial number establishment-wise.

Explanation: In reference to allotment of serial number to the regular criminal case "Establishment" will be of -

(i) SESSION JUDGE -

For the Court of Sessions Judge and other Additional Sessions Judges in the District;

(ii) CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT HEADQUARTER -

For the Court of Chief Judicial Magistrate and all other Judicial Magistrates at headquarter;

(iii) SENIOR MOST JUDICIAL MAGISTRATE AT OUTLYING COURT -

All the Courts of Judicial Magistrates in that outlying court.

(2) All the police challani/reports and private complaints of regular criminal cases shall be filed in the establishment of Chief Judicial Magistrate at headquarter and of the senior most Judicial Magistrate at the outlying court.

(3) Every regular criminal case received either by way of police challani or private complaint or on committal, will be allotted a serial number in the establishment as per the serial number available in the register of cases of Magistrate and Sessions Court in Form No. 9 and Form No. 15 respectively and such allotted number will not change on transfer of case in the same establishment. However, the serial number of the case will change upon transfer or committal of such case to another establishment and the case shall be numbered afresh there.

(4) The case to be serial numbered is allotted as aforesaid will be transferred to the concerned court within the establishment as per the jurisdiction determined by the Chief Judicial Magistrate or Session Judge, as the case may be, for taking judicial steps for disposal of case as per law.

21-A(1)- A separate series of number shall run in each court of Magistrate and Session Judge, as the case may be, for miscellaneous criminal case. Such number shall be allotted as per the series of number in register of miscellaneous case in form no.11. Every number in this series shall be followed by a letter "m".

(2) A separate series of number shall run in each court before which proceedings are laid under section 122 or to which a case is submitted under section 323 or section 325 or section 360 of the Code. Every number in this series shall be followed by the word "referred".

(3) A separate serial number shall be given to cases tried summarily.

(4) A Court of Session exercising criminal jurisdiction over two or more district shall keep a separate series of numbers for each district.

(5) A separate file shall not be prepared for each ***panchayatnama*** (inquest report). It shall be entered serially in register no.12. At the close of each month all reports in which no further action is required shall be consigned to the record room in a monthly bundle, a note being made in the remarks column against each ***panchayatnama,*** thus-

"Filed in the monthly bundle for the month of....."

These amendments will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

October 03, 2013

No. 207/UHC/Admin.A/2013--Consequent upon the change of designation of the Court of Special Judge (E.C. Act), Dehradun as Additional District & Sessions Judge, Dehradun, the Court of Special Judge (E.C. Act), Dehradun, presently Presided over by Sri Pankaj Tomar is re-designated as 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun.

NOTIFICATION

October 03, 2013

No. 208/UHC/Admin.A/2013--Consequent upon the change of designation of the Court of Special Judge (U M C.), Dehradun as Additional District & Sessions Judge, Dehradun, the Court of Special Judge (U M C.), Dehradun, presently Presided over by Sri Sushil Tomar is re-designated as 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun.

NOTIFICATION

October 03, 2013

No. 209/UHC/Admin.A/2013--Consequent upon the change of designation of the Court of Special Judge (Anti-Corruption), Dehradun as Additional District & Sessions Judge, Dehradun, the Court of Special Judge (Anti-Corruption), Dehradun, is re-designated as 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun.

This order shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

D. P. GAIROLA,

Registrar General.

NOTIFICATION

October 05, 2013

No. 210/XIV-81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 16-09-2013 to 25-09-2013 with permission to prefix 13-09-2013, 14-09-2013 & 15-09-2013 as local holiday, 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

October 07, 2013

No. 211/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Man Mohan Singh, Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 29-07-2013 to 04-08-2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 08, 2013

No. 212 UHC/XIV-a-45/Admin.A/2008--Sri Malik Mazhar Sultan, Addl, Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 29-08-2013 to 13-09-2013 with permission to suffix 14-09-2013 & 15-09-2013 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 08, 2013

No. 213 UHC/XIV-a-28/Admin.A/2010--Sri Shamsher Ali, Additional District & Sessions Judge, Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 32 days *w.e.f.* 02-05-2013 to 02-06-2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 09, 2013

No. 214/UHC/Admin.A/2013--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct) Rules 1976, applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000:--

AMENDMENT

A new clause (o) be added in Rule 2 to qualify the word "Graduate" as under:

2 (o) "Graduate" would mean a person, who has received his/her education as per 10+2+3 pattern of education from a University established by law in India or qualification recognized as equivalent thereto.

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

D. P. GAIROLA,
Registrar General.

NOTIFICATION

October 21, 2013

No. 215 UHC/XIV/71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, 3rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 15 days *w.e.f.* 26-09-2013 to 10-10-2013 in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

October 21, 2013

No. 216 UHC/XIV-a-43/Admin.A/2008--Sri Harish Kumar Goel, Addl. District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned medical leave for 09 days *w.e.f.* 18-09-2013 to 26-09-2013.

NOTIFICATION

October 21, 2013

No. 217 UHC/XIV-a-41/Admin.A/2008--Ms. Kahkasha Khan, Addl. District & Sessions Judge, Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 16-09-2013 to 27-09-2013 with permission to prefix 14-09-2013 & 15-09-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 28-09-2013 & 29-09-2013 as local holiday & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

October 23, 2013

No. 218 UHC/XIV-a-10/Admin.A/2009--Smt. Gunjan Singh, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 03-10-2013 to 15-10-2013 with permission to prefix 02-10-2013 as Gandhi Jayanti and to suffix 16-10-2013 as Id-Ul-Juha holiday.

NOTIFICATION

October 23, 2013

No. 219 UHC/XIV-a-14/Admin.A/2009--Sri Jayendra Singh, Judicial Magistrate-I, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for earned leave for 13 days *w.e.f.* 03-10-2013 to 15-10-2013 with permission to prefix 02-10-2013 as Gandhi Jayanti and to suffix 16-10-2013 as Id-Ul-Juha holiday.

NOTIFICATION

October 23, 2013

No. 220 UHC/XIV/8/Admin.A/2008--Ms. Reena Negi, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 16 days *w.e.f.* 30-09-2013 to 15-10-2013 with permission to prefix 29-09-2013 as Sunday holiday and to suffix 16-10-2013 as Id-Ul-Juha holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

October 24, 2013

No. 221 UHC/XIV/93/Admin.A/2003--Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 28 days *w.e.f.* 09-09-2013 to 06-10-2013.

NOTIFICATION

October 24, 2013

No. 222 UHC/XIV/52/Admin.A--Sri Rajendra Joshi, Judge, Family Court, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 03-10-2013 to 15-10-2013 with permission to suffix 16-10-2013 as Id-Ul-Juha holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/688–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।